18.06.24 - वकील वादी उपस्थित नही। वादीगण स्वयं भी उपस्थित नही। इनकी अनुपस्थिति बाबत कोई कारण भी पेश नही हुआ। बार-बार आवाज लगवाई गई। अत: वाद-पत्र अदम पैरवी अदम हाजरी मे खारिज किया जाता है।

पत्रावली निर्णय मे शुमार की जाकर नम्बर से कम हो तथा तरतीब तकमिल होकर दाखिल दफ्तर हो।